

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 5 जून, 2014

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गौरव तंवर, निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील ।


जबकि, श्री गौरव तंवर, निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली ने अपने दिनांक 30.12.2013 के आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 10.01.2014 को प्राप्त) के तहत गृह मंत्रालय में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के बारे में अपने आवेदन से संबंधित कतिपय प्रश्न उठाए थे।

2. और जबकि गृह मंत्रालय में उपलब्ध सूचना आवेदक को, उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.02.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत उपलब्ध करा दी गई थी।

3. और जबकि अपीलकर्ता ने, दिनांक 12.03.2014 की अपील (इस प्रभाग में दिनांक 15.05.2014 को प्राप्त) प्रस्तुत की है और यह उल्लेख किया है कि वे प्राप्त हुए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें अपील के संबंध में व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जाए और इसकी सूचना अभिम में एक सप्ताह पहले दी जाए। उन्होंने उत्तर हिन्दी में उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

4. और जबकि अपील पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया है और यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2014 के पत्र के तहत दिए गए कारण अभी भी वैध हैं, को यह ध्यान में रखते हुए, उसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाना है।

5. अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित परिस्थिति के मद्देनजर दिनांक 12.03.2014 की अपील का निपटान किया जाता है।


(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं
अपीलीय प्राधिकारी
दूरभाष सं. 23093178

श्री गौरव तंवर,
पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण तंवर,
30/93, त्रिलोकपुरी,
दिल्ली-110091

प्रति प्रेषित:

(i) आर टी आई अनुभाग - उनके ऊपर उल्लिखित संदर्भ संख्या के संदर्भ में।

(ii) अनुभाग अधिकारी (आई टी) - शीर्ष : सूचना का अधिकार अधिनियम-अधिनियम की धारा 4(1) (ग) के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत मुख्य शब्दों की खोज संबंधी सुविधा के सहित गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आर टी आई अपील की प्रति सहित।

A/2/enL

C-254639/75(1)14
19/3/14

(30)

SICA/R-11/MHA-Appeal/2014
02/4/14

19/3/14

सूचना के अधिनियम

प्रथम अपील सूचना के अधिनियम
भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय अधिनियम - 194
जो लोक सेवा आयोग अधिनियम
आई दिल्ली - 11000
विषय-सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील

25/3/14

19/3/14

25/3/14

नमस्कार

मेरा नाम शौरव तंवर है। ता. 20/12/13 को मैंने आपके विभाग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाला था। ~~आपने मेरे आवेदन को नहीं मिला है/जो सूचना मिली है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ।~~ अतः कृपया मेरी प्रथम अपील के लिए दिन व ता. निश्चित कर मुझे अपील में बुलाने के लिए सात दिन पहले सूचित करें। कृपया जवाब हिंदी में दें।
धन्यवाद

पता

शौरव तंवर S/o स्व. लक्ष्मण तंवर
30/93 जिलोकपुरी
दिल्ली - 91

T. Jaurwal

सबरी

संलग्न दस्तावेज

1- R.T.I. कोपी

2- जो सूचना मिली उसकी कोपी

19/3

25/3/14

Sd(RTI) 20/3

~~शौरव तंवर~~

Sh-5